



2026: AHC: 29184-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1554 वर्ष 2026

सूरजयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शुभम, सूरज राज

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 27.12.2025 की प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे केस अपराध संख्या 1204 वर्ष 2025, धारा 69, 89, 352, 351(3) बी.एन.एस., 2023 और धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008, थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर उत्पन्न हुआ है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी शिकायत योग्य अपराध का खुलासा नहीं होता है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के संबंध में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और हमारे समक्ष केस डायरी की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें बी.एन.एस. की धारा 183 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़िता के उक्त बयान के अवलोकन से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त, विवादित प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017) 2 SCC 779, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' (2021) SCC Online SC 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय क्रिमिनल अपील संख्या 843 वर्ष 2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर तर्कों पर विचार करने के बाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों एवं बी.एन.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान का अवलोकन करने के बाद, तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है, इसलिए, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
6. हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"